

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 3906

दिनांक 14/10/2025

उपवानी प्रकरण - अनिल कुमार वनाम भूमिधारी तहसीलदार  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956  
मुकदमा संख्या - 702 / 2025

- दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयानुगत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक  
06 / भूअ. / 2025 दिनांक 24/09/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956  
की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राग लियाडिया पटवार लियाडिया  
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के गृगे खाता संख्या 702 में खातेदार सुरेश  
श्रीमती अमिताभ के स्थान पर अनिल कुमार श्रीमती अमिताभ का  
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का लियाडिया  
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस  
कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

अनिल कुमार  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 3907-08

दिनांक 14/10/2025

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का लियाडिया तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

अनिल कुमार  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

